jagriti
(N.G.O. Since 2001)

Anand Damani
Treasurer

Jai Krishan Jajoo
President

Sudarshan Fomra
Secretary

Date : June 4, 2021

To,
The Assistant Commissioner,
Devasthan Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur

Subject – Intimation of some addition in object clause of our constitution.

Dear Sir,

Apropos to above, our Trust "Jagriti" is registered with Devasthan Department vide certificate number 13/Jaipur/2016 dated 10.02.2016.

We wish to inform you that we have made some addition in object clause of our constitution, which is as under:-

"TO WORK, DONATE OR CONTRIBUTE (IN CASH, KIND OR BY PHYSICAL EFFORTS) FOR THE MEDICAL FACILITIES AND TO CREATE, BUILD MANAGE OR DEVELOP ANY MEDICAL UNITS/ CENTRES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CLINICS, HOSPITALS, DISPENSARIES, CARE CENTRES ETC. AND TO DO ANYTHING DIRECTLY OR INDIRECTLY FOR THE WELL BEING OF HEALTH OF HUMAN BEING AND LIVING BEINGS."

A copy of our constitution and the minutes of the Extra Ordinary General meeting dated 05.05.2021, (wherein we have passed this addition in object clause) is attached for your ready reference.

This is for your kind information and records please.

Thanking you,

Yours Truly,
JAGRITI

Jaikrishan Jajoo

PRESIDENT
(Jai Krishan Jajoo)
President,
Jagriti

JAGRITI ★ 12-13, Rathore Nagar JAIPUR

Encl. - (1) Duly filled & signed FORM 8 dated 7.6.21
(2) Duly signed "अतिरिक्त प्रन्यास विलेख" dated 10.6.21

कार्यालय सहायक आयुक्त, (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

पीठासीन अधिकारी आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)

प्रकरण संख्याः 27 / 2021 निर्णय दिनांक 30/9/2021

जागृति ,ट्रस्ट जयपुर पंजियन संख्या 13 जयपुर 2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 राज0 सार्व0 प्रन्यास अधि0 1959

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री जय किशन जाजू, कार्यवाहक प्रन्यासी जागृति,ट्रस्ट जयपुर ने प्रार्थना पत्र प्रपत्र–8 दिनांक 14.6.2021 को प्रस्तुत कर जागृति,ट्रस्ट जयपुर के न्यास उद्देश्यों के एक अतिरिक्त पैरा समाहित कर उसे दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यास में हितधारियों की व्यापक जानकारी हेतु एक माह का सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का प्रकाशन राष्ट्रदूत समाचार पत्र के दिनांक 25.06.2021 को प्रकाशित संस्करण में हुआ। निर्धारित अवधि में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गयेः–

1. आवेदन पत्र प्रपत्र–8 दिनांक 14.06.2021 में प्रस्तुत सूचना प्रदर्श–1
2. प्रस्ताव दिनांक 05.6.2021 की प्रति प्रदर्श–2ए
3. अतिरिक्त न्यास पत्र की प्रति प्रदर्श–3
4. समाचार पत्र की प्रति प्रदर्श – 4

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी श्री जय किशन जाजू ने जरिये शपथ पत्र अपनी साक्ष्य दर्ज कराई। प्रकरण में प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–2ए व प्रदर्श–3 से यह पुष्ट होता है कि न्यास द्वारा सम्पादित कार्यो को उद्येश्यों में समाहित किये जाकर अतिरिक्त न्यास विधान निष्पादित किया गया है। वह न्यास हित में है। अतः प्रन्यास अधिनियम की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुवे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रपत्र–8 दिनांक 14.06.2021 प्रदर्श–1 एवं अतिरिक्त न्यास विघान प्रदर्श–3 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार उक्त इन्द्राज न्यास अभिलेखों (प्रपत्र–4) में किया जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि यह ट्रस्ट पूर्व से ही रजिस्टर्ड है जिसके पंजियन कमांक 13/2016 है। अतः न्यास के पंजियन पर गुणावगुण पर विचार नही किया गया है, मात्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही निर्णय किया गया है।

पत्रावली बाद मुकम्मिल तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30/9/2021 को खुले रूपमें सुनाया गया।

आकाश रंजन
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रमाणित–प्रतिलिपि
रीडर
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग
जयपुर

नम्बर 350
...... 30-9-21
...... 1-10-21
...... 1-10-21
5. ...... 1/-
6. ...... 1 कापी
7. हस्ताक्षर नकल तैयार कर्ता ......